

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—15 / 2007—(खण्ड—III)
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में

विषय :-

श्री राजेश कुमार सिंह,
मेसर्स पी० आई० इन्डस्ट्रीज लि०,
कृष्णा टावर प्रथम तल, होल्डिंग नं०—1124 / 521,
डॉ कमाल अशरफ लेन, एस० पी० वर्मा रोड, पटना—1
कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—147—148, दिनांक 08.11.2007 वैद्यता
तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों तथा अपीलीय वाद संख्या—2/2014 में प्रधान सचिव, कृषि द्वारा पारित आदेश के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नांकित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—147—148 दिनांक 08.11.2007 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC

2—उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स पी० आई० इन्डस्ट्रीज लि०, शकुन्ती भवन, H/O सकुन्ती देवी W/O तेज नारायण प्रसाद अगमकुँआ रोड, कड़हुनिया लेन, छोटी पहाड़ी, पटना—7

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलंग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह० /—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/ कृ०, पटना, दिनांक12. मई, 2015

ज्ञापांक २७५४

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहयक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेक्साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।